न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **श्री आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग/44/तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.12.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 76/अपील/2012-13.

1- जमुना प्रसाद तनय रामकृपाल
2- शंकरदयाल तनय जमुना प्रसाद
3- अशोक कुमार तनय जमुना प्रसाद
4- राजेश प्रसाद तनय रामप्रसाद

सभी निवासी ग्राम/पो. चोरमारी,
तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

.....निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

सूर्यभान सिंह तिवारी तनय मथुरा सिंह तिवारी
निवासी ग्राम/पो. चोरमारी,
तहसील रामपुर बाघेलान, जिला सतना (म.प्र.)

.....गैर निगरानीकर्ता

श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक, आवेदकगण
श्री आई.पी.द्विवेदी अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

1/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 10.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक की भूमि नं. 1600/1 रकवा 15ए. स्थित ग्राम चोरमारी का अधिपत्यधारी है व अनावेदक की उक्त भूमि पर वेजा व बलात आवेदक के कब्जा पर अनावेदक को बेदखल करने के खिलाफ अनावेदक द्वारा मामला दायर किया । तहसीलदार वगैरह स्वयं स्थल की जांच किये अनावेदक के खिलाफ निष्कर्ष निकाल कर व अधीनस्थ न्यायालय में अपील मेमो में उठाये गये उज्र व महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गौर न कर भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष गलत है कि अनावेदक द्वारा सीमांकन नहीं कराया गया। जबकि अनावेदक द्वारा सीमांकन व जांच हेतु आवेदन किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष गलत है कि संहिता की धारा 250 के प्रावधान अनुसार अनावेदक की ओर से मामला पेश नहीं किया गया था और न ही अपील मामला साबित ही किया गया है। अनावेदक द्वारा तहसीलदार रामपुर बाघेलान जिला सतना के प्रकरण क्र/02/अ-70/12-13 में पारित आदेश दिनांक 07-11-12 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी रामपुर बाघेलानजिला सतना के समक्ष प्रस्तुत हुयी अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 26-06-13 को आदेश पारित कर अपील खारिज की जिससे परिवेदित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें प्रकरण क्रमांक/1081/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 10-12-14 से स्वीकार की गयी। अपर आयुक्त द्वारा पारित इसी आलोच्य आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य तथ्य प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें निगरानीकर्तागण द्वारा जो तथ्य अपने लिखित तर्क तथा अधीनस्थ न्यायालयों में आपत्ति के माध्यम से उठाये थे, कि इसी भूमि को लेकर वर्ष 2001 में गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्तागणों के मध्य धारा 250 का मामला दायर किया था और मामले में दिनांक 13/09/2002 को आदेश भी हो चुका है जो अंतिम है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात को अपने आदेश के पैरा 5 के पृष्ठ क्रमांक3 के अंतिम चार लाईन में अपीलार्थी के द्वारा उठाये गये तथ्योंके रूप में उल्लिखित किया है इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा समक्ष में प्रस्तुत मामले तथा अभिलेखों को दृष्टिगत न करते हुए मनमाना विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10/12/14 विधि सम्मत होकर उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है लिहाजा निगरानी निरस्त की जावे।

5/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तर्कों का परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पाया है कि प्रति निगरानीकर्ता को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है तथा मामला सीमांकन उपरांत धारा 250 का होने से तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर प्रकरण में उन्हें गुण-दोषों पर निराकरण के आदेश दिये है। अतः इस न्यायालय में परीक्षण उपरांत यह पाया गया है कि उभय पक्षों को सुनवाई उपरांत गुणदोषों पर निराकरण के आदेश देने में आलोच्य आदेश में कोई त्रुटि नहीं है अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 10/12/14 स्थिर रखा जाता है। परिणाम स्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है।

5/6/18

(आर.के.मिश्रा)

सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,

ग्वालियर